

प्रेषक,

प्रवीर कुमार  
प्रमुख सचिव  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 13 सितम्बर, 2012

विषय : प्रदेश के नागर निकाय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना-2011 (SECC) के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के आधार पर प्रदेश के नागर निकाय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना-2011 (SECC) के संबंध में शासनादेश सं० 1584/9.1.12-22ज/11, दि० 03 मई, 2012, शासनादेश सं० 2643/9.1.12-22ज/11, दि० 03 जुलाई, 2012 व शासनादेश सं० 2799/9.1.12-22ज/11, दि० 09 जुलाई, 2012 तथा शासनादेश सं० 3031/9.1.12-22ज/11, दि० 28 जुलाई, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि सामाजिक- आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना-2011 (SECC) के संबंध में <http://rd.up.nic.in/> ,<http://urbandevelopment.up.nic.in/> तथा <http://sec-census.nic.in/> का अवलोकन कर, विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रदेश के नागर निकाय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना-2011 (SECC) के संबंध में निम्नवत् सूचनाएं शासन एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें:


1. नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में कितने चार्ज सेण्टर स्थापित किये गये हैं। (नाम सहित)
2. नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में चार्ज सेण्टर प्रभारी का नाम/मूल पदनाम/मूल तकनीकी योग्यता व अनुभव



3. नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में इस कार्य में लगे डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम/योग्यता/अनुभव
4. नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में इस कार्य में लगे डेटा इन्ट्री आपरेटर्स का नाम/योग्यता/अनुभव
5. नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में चार्ज सेण्टर पर टैबलेट पी0सी0 की उपलब्धता का विवरण
6. नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में उपलब्ध प्रगणकों की संख्या
7. जिले स्तर पर **SECC-2011** के संबन्ध में बनायी गयी समय-सारणी के अनुसार प्रकरण में अद्यतन स्थिति क्या है तथा अवस्थापना सुविधाओं में क्या कमी है और उसको पूरा करने के लिए जिले स्तर पर क्या प्रयास किये गये हैं।

4. मुझे यह भी कहना है कि यदि उक्त प्रस्तर-2 द्वारा वांछित सूचनाओं के संबन्ध में जनपद स्तर से कोई कार्यवाही अभी तक न की गयी हो तो तत्काल इस दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन (नोडल अधिकारी-श्री विष्णु स्वरूप मिश्रा, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन, दूरभाष-0522 2214826, 2238551) एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ (नोडल अधिकारी-श्री वंश स्वरूप गुप्ता, सहायक निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ, मो0 9452293496 फोन-0522 2286156, फैक्स: 0522 2288875 e-mail [diruplb2010@gmail.com](mailto:diruplb2010@gmail.com)) को तत्काल वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(प्रवीर कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: (1)/9.1.12-22ज/11, एवं दिनांक तदैव:-

७८

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0/स्टेट नोडल आफिसर- (**SECC-2011**), उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृप. उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए, वांछित सूचनाएं जिलाधिकारी के माध्यम से शास /निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, लेखराज डालर भवन, इंदिरा नगर, लखनऊ।

6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०/सूडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए, वांछित विवरण संबधित जनपदों से प्राप्त कर, संकलित रूप से शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही निदेशालय स्तर पर SECC -2011 के संबध में CONTROL ROOM गठित किया जाये ताकि उक्त राष्ट्रीय महत्व के कार्यों का नियमित अनुश्रवण हो सके साथ ही समयबद्ध रूप से उक्त कार्य संपादित किये जा सकें।

7. नोडल अधिकारी, (श्री वंशस्वरूप गुप्त, सहायक निदेशक) SECC -2011 स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए, वांछित विवरण संबधित जनपदों से प्राप्त कर, संकलित रूप से शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


8. उप महाप्रबंधक/ स्टेट लेबिल नोडल आफिसर, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, लखनऊ।

9. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करना तथा समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०/नगर आयुक्त उ०प्र० को ई-मेल करना भी सुनिश्चित करें।

10. ग्राम्य विकास अनुभाग-6

11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(विष्णु स्वरूप मिश्र)  
विशेष सचिव।

